अत्यन्त महत्वपूर्ण/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ4( )दिशा निर्देश/विधि/पंरा/2016/494 जयपुर दि0 27-6-16

:::: परिपत्र ::::

विषयः– विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु के आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन बाबत ।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु के आवासहीन व्यक्तियों को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जाने में शिथिलता बरती जा रही है । इस संदर्भ में लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 158, भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के तहत इस प्रयोजनार्थ पंचायत 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि आवंटित कर सकती है । उक्त नियम का उद्वरण इस प्रकार से है–

158- Allotment of Lands to weaker sections: (1) The Panchayat may allot Abadi land upto 300 sq. yards in village Abadies at concessional rate to members of Scheduled Caste, scavengers, Scheduled Tribes, Backward Classes, village artisans, landless persons dependent on wage labour, IRDP selected families, Handicapped, Nomadic Tribes, Gadia Lohar who do not own house sites/house and also to flood victims whose houses have been washed away or the house sites have been rendered unfit for future habitation due to floods and patta of such land may be issued in Form XXIII-C.

अतः उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र0 F.1(F)(2)SW/63 दिनांक 24.2.1964(छायाप्रति संलग्न) में अधिसूचित जातियों के आवासहीन व्यक्तियों को भी नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।
4. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)